# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम | प्रत्यर्थीगण का नाम | प्रस्तुतिकरण की दिनांक | अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3088/2024 मनोज कुमार | 1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान सदस्य सचिव, चयन मण्डल कैम्प, ए.टी.एस. जयपुर। | 10.10.2024 | श्री धर्मेन्द्र जैन, अभिभाषक |
| 2. | 3089/2024 बृजेश सिंह | | | |
| 3. | 3090/2024 रामशरण | | | |

**आदेश की दिनांक** : 20.12.2024

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3089/2024 बृजेश सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 में पुलिस निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक आधार पर पदोन्नत किये जाने के लिये पात्र माने जाने के आदेश पारित करे तथा अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 से पदोन्नति व अन्य पारिणामिक लाभ सहित दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निरीक्षक पुलिस के पद पर कार्यरत है। उसकी नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 4040/2013 बृजेश सिंह तंवर बनाम

राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के अनुसरण में आदेश दिनांक 09.02.2017 के माध्यम से की गई थी और आदेश दिनांक 09.02.2017 में अपीलार्थी को कनिष्ठ की नियुक्ति दिनांक से वेतन का काल्पनिक एवं वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का उल्लेख भी था। अपीलार्थी स्नातक योग्यताधारी है और अपीलार्थी को वर्ष 2010 दिया गया था, जो वरिष्ठता सूची के संबंधित पृष्ठ अनुलग्नक–4 से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में पुलिस निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक आधार पर पदोन्नति किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये। अपीलार्थी द्वारा उक्त परीक्षा में भाग लिया गया, जिसमें अपीलार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया। उसे राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 26 में वर्णितानुसार वांछित अनुभव पूर्ण नहीं करने के कारण आदेश दिनांक 05.09.2024 के द्वारा पात्र किया गया। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 05.09.2024 को चुनौती देते हुये माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2830/2024 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2024 जारी करते हुये निर्देश दिये कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग उसे निस्तारित करे। उसकी पालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2019–20 में चुन्नी लाल जिनकी नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी तथा चयन वर्ष 2010 दिया गया और उनकी पदोन्नति पुलिस निरीक्षक पद पर आदेश दिनांक 16.10.2020 के द्वारा कर दी गई, जो अनुलग्नक–9 से प्रकट होता है। आदेश दिनांक 31.07.2024 के द्वारा उप निरीक्षक पद पर वर्ष 2013–14 व 2015–16 के लिये पदोन्नत किया गया था, जो अनुलग्नक–8 व 9 संलग्न है। पात्र सूची में क्रमांक 179 से 201 तक के अभ्यर्थियों को आदेश दिनांक 31.07.2024 से उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक ही तरह के प्रकरण में दो मापदण्ड रखा जाना पूर्णतः अनुचित व अवैध है। इसी प्रकार श्री चुन्नी लाल जिनकी नियुक्ति वर्ष 2015 थी और चयन वर्ष 2010 दिया गया था तथा उनकी पदोन्नति पुलिस निरीक्षक पद पर आदेश दिनांक 17.07.2020 के द्वारा कर दी गई। इस तरह एक ही तरह के प्रकरण में दो मापदण्ड रखा जाना विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2024 जारी करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 09.10.2017 में अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ

की नियुक्ति दिनांक से वेतन का काल्पनिक एवं वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का भी उल्लेख था। अपीलार्थी का चयन वर्ष 2010 माना गया था और इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.2024 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 में पुलिस निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक आधार पर पदोन्नत किये जाने के लिये पात्र माने जाने के आदेश पारित करे तथा अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 से पदोन्नति व अन्य पारिणामिक लाभ सहित दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग को नोटिस तामील के उपरांत अपील का जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् भी न तो अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिकरण के समक्ष कोई उपस्थित हुआ।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन उप निरीक्षक पुलिस के पद पर कार्यरत है। उसकी नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 3993/2013, 3889/2013, 4040/2013 मनोज कुमार, रामशरण, बृजेश सिंह तंवर (क्रमशः) बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के अनुसरण में आदेश दिनांक 09.02.2017 के माध्यम से की गई थी और आदेश दिनांक 09.02.2017 में अपीलार्थी को कनिष्ठ की नियुक्ति दिनांक से वेतन का काल्पनिक एवं वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का उल्लेख भी था। जहां तक अपीलार्थी को पुलिस उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध योग्यात्मक आधार पर पदोन्नति किये जाने हेतु अपीलार्थी को अपात्र घोषित किये जाने एवं आदेश दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपीलार्थीगण को योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 09.02.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 3993/2013 मनोज कुमार जाट बनाम राज्य सरकार व अन्य, 3839/2013 रामशरण मीणा बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 4040/2013 बृजेश सिंह तंवर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 की पालना क्रम में अपीलार्थी को पुलिस उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई और नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि उक्त अभ्यर्थियों को उनसे कनिष्ठ कार्मिक की नियुक्ति दिनांक से वेतन का काल्पनिक (नोशनल) एवं वरिष्ठता का लाभ देय होगा तथा ज्वाईनिंग तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता उससे कनिष्ठ कार्मिक की नियुक्ति दिनांक से ही मानी जावेगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 15.06.2020 (अनुलग्नक–4) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को चयन वर्ष 2009–10 आवंटित किया गया है और अपीलार्थीगण स्नातक योग्यताधारी हैं। पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 26 एवं अनुसूची–I के अनुसार 7 वर्ष की लगातार सेवा पुलिस उप निरीक्षक के रूप में या यदि कार्मिक स्नातक योग्यताधारी है तो 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। अपीलार्थीगण स्नातक योग्यताधारी हैं और पुलिस उप निरीक्षक के पद का 7 वर्ष से भी अधिक का अनुभव रखते हैं। इस प्रकार यह कहना गलत है कि अपीलार्थी को पुलिस निरीक्षक पद पर वर्ष 2020–21 की आयोजित होने वाली योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थीगण को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.10.2024 में अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि 09.03.2017 को मानते हुये उनके अनुभव की गणना की गई है, जबकि नियुक्ति आदेश दिनांक 09.02.2017 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अपीलार्थीगण को उनसे कनिष्ठ कार्मिक की नियुक्ति दिनांक से वेतन का काल्पनिक एवं वरिष्ठता का लाभ देय होगा और इस प्रकार अस्थायी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थीगण को चयन वर्ष 2009–10 दर्शाया गया है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थीगण उक्त योग्यात्मक परीक्षा हेतु पात्र हैं। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 09.10.2024 अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

वर्तमान प्रकरण में अधिकरण द्वारा दिनांक 16.10.2024 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी किया गया :–

*''प्रत्यर्थी विभाग को यह अंतरिम आदेश दिया गया कि अपीलार्थीगण को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित होने वाली योग्यात्मक परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जावे और अपीलार्थीगण के संबंध में प्रकरण को बंद लिफाफे में रखा जावे तथा अपीलार्थीगण का परीक्षा परिणाम इस अपील के अध्याधीन रहेगा।''*

उपरोक्तानुसार हमारे मत में अपीलार्थीगण रिक्ति वर्ष 2020–21 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक परीक्षा में बैठने के हकदार हैं। चूंकि आदेश दिनांक 31.07.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री तूफानमल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जिनको सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2013–14 में उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 05.09.2024 जिसमें उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2020–21 की अस्थायी पात्रता सूची में कार्मिक श्री तूफानमल का नाम क्रम संख्या 201 पर अंकित किया गया है, जिसे उक्त परीक्षा हेतु पात्र माना गया है, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को पुलिस निरीक्षक के पद के लिये योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2020–21 के लिये अयोग्य नहीं माना जा सकता। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार फरमाई जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अधिकरण के अंतरिम आदेश दिनांक 16.10.2024 की पालना में पुलिस निरीक्षक के पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2020–21 के परीक्षा परिणाम जो बंद लिफाफे में रखा गया है, जिसे अपील के अध्याधीन रहने का आदेश दिया गया था, को लिफाफा खोलकर परिणाम घोषित किया जावे तथा अपीलार्थीगण उक्त परीक्षा में योग्य पाये जाने पर उन्हें वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ उसी तिथि से दिये जावें, जिस तिथि से उनसे कनिष्ठ कार्मिकों को दिये गये हैं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे। अधिकरण द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 16.10.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 3089/2024 बृजेश सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**